पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध संख्या 18379 वर्ष 2019

थाना मामला संख्या-193 वर्ष-2001 थाना- उदवंतनगर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

==========

श्री कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय राम तौकल सिंह, निवासी ग्राम- मसरह, थाना- उदवंतनगर, जिला- भोजपुर, बिहार

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

भारत संघ, सीमा शुल्क मंत्रालय के सचिव के माध्यम से वित्त विभाग भारत सरकार।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/पक्षों की ओर से : श्री राजीव रंजन राज, अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं की ओर से : श्री रंजय कुमार, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 227—निलंबन याचिका/डिस्चार्ज याचिका—आरोपित सामग्रियाँ सह-आरोपी के घर के पास से बरामद की गईं—याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के व्यक्ति और हाल ही में निर्वाचित मुखिया थे जब बड़ी मात्रा में नशीली दवाएँ बरामद हुईं—याचिकाकर्ता की वसूली के स्थान, अर्थात्, घर से कोई संबंधित नहीं है—याचिकाकर्ता का नाम ग्रामीणों की फुसफुसाहट के आधार पर आया—अभियोजन का मामला केवल संदेह या अनुमान पर आधारित है, तो ऐसे संदेह या अनुमान को अभियोजन द्वारा सही तरीके से स्पष्ट किया जाना चाहिए और यह ठोस होना चाहिए—सीखी गई ट्रायल कोर्ट ने खारिज किए गए आदेश को मैकेनिकल तरीके से दिया और बिना यह खुलासा किए कि कौन सी सामग्री उसके अनुसार, आरोप तय करने के लिए काफी पाई गई थी—यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और अदालत संतुष्ट है कि पेश की गई साक्ष्य केवल कुछ संदेह उत्पन्न कर रही है, तो उक्त परिस्थिति में, आरोपी को दोषारोपण से मुक्त किया जाना चाहिए और यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि आरोपी की छुट्टी की प्रार्थना का निर्णय लेते समय, न्यायालय केवल एक डाकघर या अभियोजन का मुहावरा के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए—याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं—आक्षेपित आदेश

को रद्द किया गया—याचिकाकर्ता सभी आरोपित अपराधों से मुक्त किया गया—याचिका स्वीकृत किया गया ।

(पैराग्राफ 5 और 6)

*(1979) 3 एससीसी 4; (2022) 12 एससीसी 657—**निर्भर किया गया**।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक आदेश

दिनांक-25-02-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन राज और सीमा शुल्क विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजय कुमार को सुना गया।

2. यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें 29.10.2018 को विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक्स सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम, पटना द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो कि उदवंतनगर पीएस केस संख्या 193/2001 से उत्पन्न सीमा शुल्क केस संख्या 108/2001 से संबंधित विशेष मामला संख्या 100/2001 में पारित किया गया था, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत याचिकाकर्ता की रिहाई की प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला 650 किलोग्राम मादक पदार्थ अर्थात् *गांजा* की बरामदगी से संबंधित है तथा यह बरामदगी 11.10.2001 को की गई बताई गई है, लेकिन अंतिम शिकायत में वर्णित

अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा दायर प्रारंभिक लिखित सूचना और जब्त मादक पदार्थ के साथ याचिकाकर्ता का किसी भी प्रकार का संबंध *प्रथम दृष्टया* भी नहीं प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, कथित प्रतिबंधित पदार्थ सह-आरोपी भारत भूषण सिंह उर्फ लामी सिंह के घर के पास बरामद किया गया था तथा इसे भूसे से ढका हुआ पाया गया था, लेकिन यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि सीमा शुल्क अधिकारी जब्त प्रतिबंधित पदार्थ के मालिक का पता नहीं लगा सके तथा इस संबंध में मुख्य शिकायत तथा प्रारंभिक लिखित सूचना जिसे एफआईआर माना जा सकता है, का अवलोकन किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को मुख्य रूप से ग्रामीणों की कानाफूसी के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन शिकायत में उक्त ग्रामीणों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, साथ ही प्रारंभिक जानकारी और बरामदगी के स्थान के संबंध में जब्ती ज्ञापन भी प्रासंगिक है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि लामी सिंह नामक व्यक्ति के घर के पास *मसाढ़* गांव से लावारिस बरामद किया गया था और शिकायत के साथ कस्टम विभाग ने अनुलग्नक-। के रूप में गवाहों की सूची दाखिल की थी, जिसमें 21 व्यक्तियों के गवाह होने का विवरण दिया गया है, लेकिन उनमें से किसी भी ग्रामीण का नाम नहीं है। इन गवाहों में 19 सरकारी व्यक्ति हैं, बाकी दो पटना जिले के हैं, जो केवल बरामदगी के स्थान पर कस्टम अधिकारियों के साथ गए थे और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने किसी भी उद्धृत गवाह का बयान दर्ज नहीं किया। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता सहित शिकायत में नामित आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत नोटिस भेजा, लेकिन गवाह सूची में उद्धृत और विस्तृत गवाहों की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया। कस्टम अधिकारियों ने दावा किया था कि जिन ग्रामीणों ने कथित अपराधों में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों के नाम का खुलासा किया था, उनसे भी पूछताछ नहीं की गई और यहां तक कि उनकी पहचान भी उजागर नहीं की गई और याचिकाकर्ता को छोड़कर कोई भी आरोपी व्यक्ति अपना बयान दर्ज कराने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं

हुआ। लेकिन याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने कथित जब्त प्रतिबंधित पदार्थ को रखने या तस्करी करने में अपनी किसी भी भूमिका से पूरी तरह इनकार किया। याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी है और बरामदगी के समय वह नव निर्वाचित *मुखिया* था। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत के अनुसार, जब कस्टम अधिकारी जब्त प्रतिबंधित पदार्थ को ले जा रहे थे और जब्ती की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन पर हमला किया गया और उनका सामान साठ से सत्तर लोगों की एक बड़ी भीड़ द्वारा लूट लिया गया और उस घटना के संबंध में उदवंतनगर पी.एस. मामला संख्या 193/2001 दर्ज किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता भी उस मामले में आरोपियों में से एक था, लेकिन उसे पुलिस द्वारा नहीं भेजा गया और अन्य आरोपी व्यक्तियों को भेजा गया और मुकदमे का सामना करना पड़ा, उन्हें आरोपित अपराधों से बरी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत उसे बरी करने की प्रार्थना के साथ अपनी याचिका दायर की, जिस पर अभियोजन पक्ष ने 22.09.2018 को अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें सह-आरोपी भारत भूषण के घर के पास बरामदगी के तथ्य को भी स्वीकार किया गया, हालांकि, जवाब में उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, लेकिन इनमें से किसी भी दावा की गई सामग्री का खुलासा उक्त जवाब में नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अंत में प्रस्तुत किया गया कि आरोपित आदेश पूरी तरह से यांत्रिक है और ट्रायल कोर्ट ने आदेश में केवल उल्लेख किया है कि आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी, लेकिन ऐसी किसी भी सामग्री का खुलासा या चर्चा नहीं की गई थी।

4. दूसरी ओर, कस्टम विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता बरामदगी के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर अपनी उपस्थिति के बारे में कस्टम अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर सका और एनडीपीएस

अधिनियम के कथित अपराधों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। याचिकाकर्ता संबंधित पंचायत का मुखिया होने के बावजूद तस्करों को पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी की मदद करने में अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा और उसने 2,000 रुपये मासिक पेंशन पाने के बावजूद करोड़ों रुपये की विशाल संपत्ति अर्जित करने के लिए संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जो अपने आप में वर्तमान मामले में बरामद मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त है। जब्त की गई तस्करी याचिकाकर्ता के घर के पास से बरामद की गई थी और कथित अपराधों के साथ आगे बढ़ने के लिए उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री है।

5. दोनों पक्षों को सुना और आक्षेपित आदेश और संबंधित सामग्रियों का अवलोकन किया। वर्तमान मामला भारी मात्रा में *गांजा* बरामदगी से संबंधित है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, कथित प्रतिबंधित पदार्थ सह-आरोपी भारत भूषण सिंह उर्फ लामी सिंह के घर के पास बरामद किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह तर्क नहीं दिया है कि याचिकाकर्ता के पास बरामदगी के स्थान पर कब्जा था या बरामदगी के प्रासंगिक समय के दौरान उसका कोई संबंध था और इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ट्रायल कोर्ट को दी गई प्रारंभिक लिखित जानकारी के साथ-साथ अंतिम शिकायत और जब्ती ज्ञापन प्रासंगिक हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले सटीक व्यक्ति का सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पता नहीं लगाया जा सका। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सूचना के अनुसार तथा ग्रामीणों के बीच कानाफूसी से यह पता चलता है कि बरामद *गांजा* याचिकाकर्ता तथा सह-आरोपियों का है, लेकिन शिकायत में उक्त सूचना को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है तथा जिन ग्रामीणों ने कानाफूसी की तथा कथित अपराधों में याचिकाकर्ता की भूमिका का खुलासा किया, उनके नाम पूरी शिकायत में तथा *पंचनामा* जैसे अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों में उजागर नहीं किए गए तथा ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कुछ अज्ञात ग्रामीणों की कानाफूसी के आधार पर

याचिकाकर्ता को आरोपी बना दिया गया, जो कानून की नजर में ऐसे आरोपियों द्वारा *प्रथम दृष्टया* भी अपराध किए जाने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि जांच अधिकारी ने उक्त ग्रामीणों का पता लगाने का कोई कष्ट नहीं उठाया तथा उनके बयान दर्ज नहीं किए तथा याचिकाकर्ता को केवल अनुमान के आधार पर आरोपी बना दिया गया। उसके पिछले आचरण के संबंध में अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम के कथित अपराधों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के अभियोजन पक्ष के अनुमान को उचित ठहराने के लिए कोई भी सामग्री देने में विफल रहा और माना कि वह संबंधित पंचायत के कथित प्रतिबंधित माल की बरामदगी के समय एक निर्वाचित मुखिया था और केवल इस याचिकाकर्ता द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ असहयोग के कारण और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कथित रूप से उसकी बड़ी संपत्तियों के कारण उसे वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है, लेकिन यह मादक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित अपराध में किसी को आरोपी बनाने का आधार नहीं हो सकता है जब तक कि जब्त किए गए प्रतिबंधित माल के साथ ऐसे व्यक्ति का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिखाया गया हो और वर्तमान मामले में भी यही स्थिति है। यद्यपि शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों पर एक बड़ी भीड़ द्वारा हमला किया गया था और उनका सामान भी छीन लिया गया था, जिसके संबंध में एक अन्य पी.एस. मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के अनुसार, याचिकाकर्ता को उस मामले में आरोप पत्र नहीं दिया गया था और उस मामले में आरोप पत्र दिए गए आरोपियों को बरी कर दिया गया है, हालांकि, बाद की घटना याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम के कथित अपराधों में फंसाने के लिए कानून की नजर में एक वैध आधार नहीं हो सकती है। आश्चर्य की बात है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी ने मुख्य शिकायत के साथ संलग्न गवाहों की सूची में उल्लिखित गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए, जबकि उनमें से किसी ने भी याचिकाकर्ता के कथित प्रतिबंधित पदार्थ के साथ संबंध के खुलासे के तथ्य का गवाह होने का दावा नहीं किया था।

6. अभियुक्त द्वारा की गई बरी करने की प्रार्थना पर निर्णय करते समय, ट्रायल कोर्ट उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना करने के लिए बाध्य है, हालांकि सीमित उद्देश्य के लिए, लेकिन कम से कम यह पता लगाने के लिए सराहना की जानी चाहिए कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं और जहां अभियोजन पक्ष का मामला केवल संदेह या अनुमान पर आधारित है, तो ऐसे संदेह या अनुमान को अभियोजन पक्ष द्वारा ठीक से समझाया जाना चाहिए और अच्छी तरह से स्थापित होना चाहिए। यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायालय को यह विश्वास है कि प्रस्तुत साक्ष्य कुछ संदेह को जन्म देते हैं, तभी उक्त परिस्थिति में अभियुक्त को कथित अपराधों से मुक्त किया जाना चाहिए और यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि अभियुक्त को मुक्त करने की प्रार्थना पर निर्णय करते समय, ट्रायल कोर्ट को केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य के मामले में (1979) 3 एससीसी 4** में की गई टिप्पणियां प्रासंगिक हैं और उन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> *"**10.** इस प्रकार, ऊपर वर्णित अधिकारियों के विचार पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:*
>
> *(1) कि न्यायाधीश को धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य को छांटने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।*
>
> *(2) जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह प्रकट करती है, जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, न्यायालय*

आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगा।

(3) प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने का परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम बनाना कठिन है। तथापि, यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध कुछ संदेह तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन गंभीर संदेह नहीं, तो वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अपने पूर्ण अधिकार में होगा।

(4) संहिता की धारा 227 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश, जो वर्तमान संहिता के अधीन एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायालय है, केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्यों के समग्र प्रभाव और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी कमियों आदि पर विचार करना होगा। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष में गहन जांच करनी चाहिए और साक्ष्यों का मूल्यांकन इस प्रकार करना चाहिए मानो वह कोई मुकदमा चला रहा हो।"

उपरोक्त सिद्धांतों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल माग्रे और अन्य के मामले में एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4599/2021** में पारित निर्णय में दोहराया गया था, जिसे **(2022) 12 एससीसी 657** में रिपोर्ट किया गया था।

7. वर्तमान मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यांत्रिक तरीके से और उन सामग्रियों का खुलासा किए बिना आदेश पारित किया, जो ट्रायल कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए आरोप तय करने के लिए पर्याप्त पाए गए थे। यदि वर्तमान मामले में ऊपर चर्चा की गई उपलब्ध सामग्रियों के मद्देनजर याचिकाकर्ता को कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जो उसके खिलाफ *प्रथम दृष्टया* भी आकर्षित नहीं होते हैं, तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और याचिकाकर्ता के साथ गंभीर अन्याय होगा और कथित अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और वह कथित अपराधों से मुक्त होने का हकदार है और सीआरपीसी की धारा 227 के तहत की गई उसकी प्रार्थना को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। इस प्रकार, आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को सभी कथित अपराधों से मुक्त किया जाता है और तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।